

Disclaimer

The Institute has given the right of translation of the material in Hindi and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer with English version.

अस्वीकरण

भारतीय लेखाकार संस्थान ने इस अध्ययन विषय-वस्तु के हिंदी अनुवाद का अधिकार किसी को दिया था और अनुवादित संस्करण की गुणवत्ता के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, इस अध्ययन विषय-वस्तु के मूल रूप की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा गया है, फिर भी, यदि हिंदी में कोई त्रुटि या चूक दिखाई देती है तो कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

प्रश्न-पत्र - 8: अप्रत्यक्ष कर कानून

- (i) प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देना अनिवार्य है और शेष 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें।
- (ii) कार्य टिप्पण उत्तर का भाग होनी चाहिए।
- (iii) सभी प्रश्नों का उत्तर (i) महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं/परिपत्रों संशोधित और वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा किए गए संशोधित जीएसटी कानून, जो 30.04.2022 से प्रभावी हो गए हैं और (ii) वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित सीमा शुल्क कानून एवं 30.04.2022 तक किए गए महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं/परिपत्र और अन्य विधायी संशोधन के आधार पर दिया जाना चाहिए।

प्रश्न 1

पंजीकृत कर देय योग्य, जे. लिमिटेड, वडोदरा (गुजरात) का फरवरी, 2022 के दौरान लेनदेन का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण
1.	महाराष्ट्र में एक व्यापारी निर्यातक के रूप में किसी निर्माता से माल खरीदा (0.1% आईजीएसटी के भुगतान पर) और एल्यूटी के अंतर्गत सीधे स्पेन के एक आयातक को निर्यात कर दिया। एफओबी का मूल्य ₹7,00,000 है। जे लिमिटेड को आपूर्ति हेतु चालान 5/2/22 को प्राप्त हुआ और भुगतान 8/2/22 को किया गया।
2.	₹5,00,000 के सीआईएफ मूल्य के साथ चीन से सामान आयातित। 21/2/22 को किसी भारतीय पक्ष को उच्च समुद्री बिक्री के रूप में ₹5,10,000 में माल बेचा गया था।
3.	ताइवान में किसी पक्ष से माल खरीदा। भारत में बिना माल लाए तुर्की में एक पक्ष को माल बेच दिया। खरीद मूल्य ₹ 5,00,000 था और बिक्री मूल्य ₹7,00,000 था। जे लिमिटेड ने इस लेन-देन के संबंध में अपनी एजेंट मैसर्स टी. को ₹ 50,000 का बिक्री कमीशन दिया। लेनदेन फरवरी के तीसरे सप्ताह में पूरा किया गया था। (रुपये में आंकड़े रूपांतरण के बाद दिए गए हैं, हालांकि लेनदेन परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में था)।
4.	जे. लिमिटेड ने अहमदाबाद के श्री के. को उनके द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों के संबंध में ₹5,00,000 के प्रतिफल में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है, जो एक अपंजीकृत व्यक्ति हैं और 2/2/22 को इसके लिए उन्हें ₹1,00,000 का अग्रिम प्राप्त हुआ।
5.	इसने चीन से कच्चा माल आयात किया। सीमा शुल्क के उद्देश्य हेतु माल के सीआईएफ मूल्य में जे. लिमिटेड द्वारा भुगतान किए गए समुद्री माल के रूप में ₹1,00,000 शामिल थे। सीमा शुल्क द्वारा गणना किए गए आईजीएसटी लगाने के उद्देश्य के लिए मूल्य ₹6,00,000 था। माल की निकासी 4/2/22 को हुई।
6.	स्थानीय रूप से खरीदकर कारखाने में रखा गया कर योग्य कच्चा माल बारिश के कारण खराब और अनुपयोगी हो गया। जे. लिमिटेड ने इसके लिए ₹60,000 की बीमा राशि का दावा किया और प्राप्त किया। प्राप्ति के समय कच्चे माल का मूल्य ₹70,000 था। 3/2/22 को गुजरात के एक पक्ष से कच्चा माल खरीदा गया और भुगतान 7/2/22 को किया गया।

7.	कंपनी ने ₹2,50,000 में ड्राइवर (इंजन क्षमता 20सीसी) सहित 2 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक तिपहिया वाहन खरीदा, जिसका उपयोग कंपनी के कर्मचारियों को निवास से कारखाने और वापस लाने हेतु किया जा रहा है। वाहन 5/2/22 को प्राप्त हुआ था और उसी तिथि को भुगतान किया गया था।
8.	इसने टेम्पो मालिक मि. जेड को ₹30,000 के आवक परिवहन व्यय का भुगतान किया है, जिसने कोई परेक्षण नोट जारी नहीं किया है। उन्होंने केवल 3/2/22 को समेकित बिल जारी किया है और भुगतान 4/2/22 को किया गया था।
9.	इसने वी. लिमिटेड पादरा, गुजरात को ₹50,00,000 के मूल्य के सामान की आपूर्ति की है (वी. लिमिटेड की एसईजेड इकाई को आपूर्ति किए गए ₹10,00,000 शामिल हैं)
10.	इसने अपने कारखाने में कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु एक्स इम्पेक्स लिमिटेड, कडी, गुजरात से माल खरीदा है। माल का मूल्य ₹30,00,000 है। चालान की तारीख 2/2/2022 है।
11.	इसने पंजीकृत कर योग्य देय वार्ड. लिमिटेड वडोदरा, गुजरात से जनशक्ति सिक्योरिटी सर्विसेज की आपूर्ति का लाभ उठाया है। भुगतान की गई राशि ₹ 1,00,000 है। चालान 1/2/2022 को प्राप्त हुआ और उसी दिन भुगतान किया गया।

व्यापारी निर्यातक के रूप में प्राप्त आपूर्ति को छोड़कर सीजीएसटी और एसजीएसटी दरों को 9% और आईजीएसटी दर को 18% मानें। मुआवजा उपकर को अनदेखा करें। जे. लिमिटेड के पास 1/2/2022 को ₹20,000 का सीजीएसटी का आईटीसी और ₹20,000 का एसजीएसटी था। सभी आवक आपूर्तियों के संबंध में, आपूर्तिकर्ताओं ने संबंधित फॉर्म जीएसटीआर-1 में अपने चालान अपलोड किए हैं और आपूर्ति जीएसटीआर-2ए/2ख में परिलक्षित होती है। ऊपर दिए गए सभी आंकड़े जीएसटी से अलग हैं, जहां भी लागू हों।

जे. लिमिटेड, वडोदरा (गुजरात) द्वारा फरवरी, 2022 में स्वीकार्य आईटीसी और जीएसटी देयता [सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, जैसा भी मामला हो] नकद में देय है।

सुनिश्चित करें कि तालिका के सभी मद आपके उत्तर में शामिल हैं। जहाँ भी आवश्यक हो, अपने निष्कर्ष के लिए सहायक व्याख्यात्मक टिप्पणी दें।

(14 अंक)

उत्तर

I. फरवरी, 2022 के लिए स्वीकार्य आईटीसी की गणना				
विवरण	कीमत (₹)	सीजीएसटी (₹)	एसजीएसटी (₹)	आईजी एसटी (₹)
प्रारंभिक जमा		20,000	20,000	

प्रश्न-पत्र – 8: अप्रत्यक्ष कर कानून (PAPER – 8: INDIRECT TAX LAWS) 3

निर्यातक के रूप में खरीदा गया माल [व्यापारी निर्यातक 0.1% की दर से भुगतान किए गए आईजीएसटी का आईटीसी लेने के लिए पात्र है। ¹]	7,00,000	--	--	700
चीन से आयातित माल [कोई आईटीसी नहीं क्योंकि कर देय नहीं है। उच्च समुद्री बिक्री के मामले में, आईजीएसटी का भुगतान अंतिम उच्च समुद्री बिक्री खरीदार द्वारा किया जाता है जो घरेलू खपत हेतु आगम बिल दाखिल करता है।]	शून्य	--	--	--
ताइवान से खरीदा गया माल [कोई आईटीसी नहीं क्योंकि कर देय नहीं है क्योंकि माल देश के भूभाग का हिस्सा नहीं है।]	शून्य	--	--	--
एजेंट - श्रीमती टी ² को दिया गया बिक्री कमीशन [चूंकि सेवा प्रदाता - श्रीमती टी दिए गए लेनदेन में एक मध्यस्थ हैं, आपूर्ति का स्थान श्रीमती टी का स्थान है, अर्थात् भारत के बाहर। इस प्रकार, उक्त सेवाओं पर रिवर्स चार्ज के तहत कर देय नहीं है।]	50,000	--	--	--
चीन से आयातित कच्चा माल [इनपुट कर, अन्य बातों के साथ-साथ, माल के आयात पर लगाया गया आईजीएसटी भी शामिल है। ³]	6,00,000			1,08,000 [6,00,000 × 18%]
कच्चा माल जो खराब हो गया ⁴ [खराब हुए माल पर धारा 17(5) के तहत	--	--	--	--

¹ एक व्यापारी निर्यातक के रूप में खरीदे गए माल की आपूर्ति के मूल्य के अभाव में, आईटीसी राशि की गणना हेतु ऐसे माल के निर्यात के एफओबी मूल्य को उनके खरीद मूल्य के रूप में लिया गया है।

² चूंकि लेन-देन परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में किया गया था, इसलिए यह अनुमान लगाना तर्कसंगत है कि श्रीमती टी भारत के बाहर स्थित हैं।

³ यह माना गया है कि चीन से माल के आयात का अनुबंध सीआईएफ के आधार पर होता है।

⁴ प्राप्त बीमा राशि एक कार्रवाई योग्य दावा है। इस प्रकार, इसे न तो माल की आपूर्ति के रूप में और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाता है।

आईटीसी अवरुद्ध है।]				
तिपहिया वाहन की खरीद ⁵ [20सीसी की इंजन क्षमता वाले तिपहिया वाहन पर आईटीसी की अनुमति है क्योंकि यह मोटर वाहन नहीं है और इसका उपयोग व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने हेतु किया जाता है। ⁶]	2,50,000	22,500 [2,50,000 × 9%]	22,500 [2,50,000 × 9%]	--
मिस्टर जेड से आवक परिवहन [पारेषण नोट जारी किए बिना माल के परिवहन की सेवाएं जीटीए की सेवाओं के अंतर्गत नहीं आती हैं और इसलिए छूट दी गई है। इस प्रकार, कोई आईटीसी उपलब्ध नहीं है।]	--	--	--	--
कच्चा माल एक्स इम्पेक्स लिमिटेड, गुजरात से खरीदा गया [व्यापार के क्रम में या उसे आगे बढ़ाने हेतु उपयोग किए गए माल पर आईटीसी की अनुमति है।]	30,00,000	2,70,000 [30,00,000 × 9%]	2,70,000 [30,00,000 × 9%]	
वाई लिमिटेड से जनशक्ति सुरक्षा सेवाएं। [चूंकि सुरक्षा सेवाएं कॉरपोरेट निकाय द्वारा प्रदान की जाती हैं, इसलिए रिवर्स चार्ज के तहत उस पर कर देय नहीं है।]	1,00,000	9,000 [1,00,000 × 9%]	9,000 [1,00,000 × 9%]	
कुल उपलब्ध आईटीसी		3,21,500	3,21,500	1,08,700
II. जे. लिमिटेड द्वारा नकद में देय जीएसटी देयता की गणना				
जावक आपूर्ति पर देय जीएसटी				
एल्यूटी के तहत स्पेन को माल का निर्यात [कोई आईजीएसटी देय नहीं है।]	7,00,000			शून्य
चीन से आयातित सामानों की उच्च समुद्री	शून्य	--	--	--

⁵ यह मान लिया गया है कि तिपहिया वाहनों की खरीद राज्य के अंदर की आपूर्ति है। वैकल्पिक रूप से, यह मान लेना भी संभव है कि तिपहिया वाहन की खरीद एक अंतर-राज्यीय आपूर्ति है। उस स्थिति में, ₹ 45,000 का आईजीएसटी आईटीसी के रूप में उपलब्ध होगा।

⁶ यह माना गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत उक्त पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए जीएसटी पर मूल्यहास का दावा नहीं किया गया है।

प्रश्न-पत्र – 8: अप्रत्यक्ष कर कानून (PAPER – 8: INDIRECT TAX LAWS) 5

बिक्री [न तो माल की आपूर्ति के रूप में माना जाता है और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में।]				
भारत में लाए बिना तुर्की में बेचा जाता है [न तो माल की आपूर्ति के रूप में माना जाता है और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में।]	शून्य	--	--	--
मिस्टर के. को प्रदान की जाने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त अग्रिम [प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर अग्रिम की प्राप्ति के समय देय होता है।]	1,00,000	9,000 [1,00,000 × 9%]	9,000 [1,00,000 × 9%]	
वी. लिमिटेड की एसईजेड इकाई को आपूर्ति की गई वस्तुएं [एसईजेड यूनिट को आपूर्ति शून्य-रेटेड आपूर्ति है ⁷ ।]	10,00,000			शून्य
वी. लिमिटेड, गुजरात को माल की आपूर्ति	40,00,000	3,60,000 [40,00,000 × 9%]	3,60,000 [40,00,000 × 9%]	
कुल उत्पादन कर		3,69,000	3,69,000	शून्य
घटाया: आईटीसी* [आईजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग किसी भी क्रम में और किसी भी अनुपात में सीजीएसटी और एसजीएसटी देयता के भुगतान के लिए किया जा सकता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग केवल आईजीएसटी क्रेडिट के पूर्ण उपयोग के बाद ही किया जा सकता है। इसके बाद, सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट क्रमशः सीजीएसटी और एसजीएसटी देयता के भुगतान हेतु उपयोग किया जाता है। सीजीएसटी क्रेडिट का उपयोग एसजीएसटी के भुगतान के लिए और इसके विपरीत नहीं किया जा सकता है।]		54,350 (आईजीएसटी)	54,350 (आईजीएसटी)	
		3,14,650 (सीजीएसटी)		
			3,14,650 (एसजीएसटी)	

⁷यह माना गया है कि बिना कर का भुगतान किए एसईजेड को माल की आपूर्ति की गई है।

शुद्ध जीएसटी देय		शून्य	शून्य	शून्य
जोड़ा: आवक आपूर्ति पर देय जीएसटी				
चीन से आयातित कच्चा माल	6,00, 000			1,08,000 [6,00,000 × 18%]
नकद में देय कुल शुद्ध जीएसटी		शून्य	शून्य	1,08,000

***टिप्पणी:** आईजीएसटी के आईटीसी का उपयोग सीजीएसटी और एसजीएसटी के भुगतान हेतु किसी भी अनुपात में और किसी भी क्रम में किया जा सकता है। इसलिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी के खिलाफ आईजीएसटी क्रेडिट को सेट ऑफ करने के कई तरीके हो सकते हैं। हालांकि, नकद में देय शुद्ध जीएसटी की कुल राशि प्रत्येक मामले में समान होगी।

प्रश्न 2

(क) राम कंपनी लिमिटेड, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) का एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, माल का निर्माता है। कंपनी अप्रैल महीने (चालू वित्तीय वर्ष) के दौरान आवक आपूर्ति पर भुगतान किए गए जीएसटी से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करती है:

क्र.सं.	मद	चुकाया गया जीएसटी (₹) में
(i)	कंपनी की नीति के अनुसार कारखाने के कर्मचारियों के जीवन बीमा कवर हेतु कंपनी द्वारा भुगतान किया गया जीवन बीमा प्रीमियम। कर्मचारियों के लिए बीमा कवर प्रदान करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।	1,50,000
(ii)	पिछले वित्तीय वर्ष के सितंबर के महीने में, राम कंपनी लिमिटेड ने कच्चे माल की खरीद पर ₹2,40,000 का आईटीसी प्राप्त किया, जिसे 25 सितंबर (पिछले वित्तीय वर्ष) को किसी चालान के तहत सीधे जॉब वर्कर के परिसर में भेजा गया था। उक्त कच्चा माल जॉब वर्कर से 30 अप्रैल (वर्तमान वित्तीय वर्ष) तक वापस प्राप्त नहीं हुआ है।	
(iii)	खरीदे गए कच्चे माल जिनका उपयोग जीरो-रेटेड आपूर्ति के रूप में आपूर्ति की गई छूट वाली वस्तुओं के लिए किया जाता है।	50,000
(iv)	कारखाने के भवन की मरम्मत के लिए उपयोग की जाने वाली वर्क्स कांटेक्टर की सेवा जिसे कंपनी के लाभ व हानि खाते में डेबिट किया जाता है।	30,000
(v)	₹4,00,000 का पूंजीगत माल खरीदा और ₹44,800 (@10%) के	48,000

प्रश्न-पत्र – 8: अप्रत्यक्ष कर कानून (PAPER – 8: INDIRECT TAX LAWS) 7

	मूल्यहास का दावा किया।	
(vi)	नेहा ट्रेडर्स से कच्चा माल खरीदा (नेहा ट्रेडर्स का चालान अप्रैल माह में प्राप्त हुआ लेकिन माल जून माह में प्राप्त हुआ)	20,000
(vii)	ऐसी कार की आगे की आपूर्ति करने के लिए खरीदी गई कार। संभावित ग्राहकों द्वारा परीक्षण ड्राइव के लिए उपयोग किए जाने के दौरान ऐसी कार दुर्घटना में नष्ट हो जाती है।	30,000
(viii)	टेली-कम्युनिकेशन टावर लगाने हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला माल	50,000

अन्य जानकारी:

उपरोक्त क्रमांक (iii) को छोड़कर उपरोक्त सभी आवक आपूर्ति का उपयोग कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में किया गया है।

सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तालिका में सभी वस्तुओं के प्रशोधन हेतु आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ अप्रैल महीने के लिए राम कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध शुद्ध आईटीसी की राशि की गणना करें। ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार, मान लें कि आईटीसी प्राप्त करने हेतु आवश्यक अन्य सभी शर्तें पूरी हो गई हैं।

(9 अंक)

- (ख) कैमिकल मैन्यूफैक्चरर मिस्टर एक्स 12 जनवरी, 2019 को जर्मनी से ₹20 लाख की मशीन का आयात करता है। मिस्टर एक्स अपने द्वारा आयात किए गए पूंजीगत सामानों पर सीमा शुल्क की रियायती दर हेतु पात्र हैं, इस शर्त के अधीन कि वे सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 का पालन करें। मशीनरी को 1 फरवरी, 2019 को उपयोग में लाया गया था। 5 अप्रैल, 2022 को मिस्टर एक्स मशीन को आयात करने के निर्दिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग करने के पश्चात घरेलू खपत के लिए मशीन का समाशोधन करना चाहते हैं। मिस्टर एक्स को सीमा शुल्क की गणना में आपकी सहायता चाहिए, जो उन्हें सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 के नियम 7 के अनुसार ऐसे समाशोधन हेतु भुगतान करना होगा। बुनियादी सीमा शुल्क की रियायती दर 5% है। मूल सीमा शुल्क की सामान्य दर 20% है। 5 अप्रैल, 2022 को घरेलू खपत के लिए ऐसी पूंजीगत वस्तुओं के समाशोधन पर मिस्टर एक्स द्वारा देय मूल सीमा शुल्क की गणना करें। ब्याज गणना पर ध्यान न दें।

(5 अंक)

उत्तर

- (क) अप्रैल महीने में राम कंपनी लिमिटेड के लिए उपलब्ध आईटीसी की गणना

क्र.सं.	विवरण	आईटीसी (₹)
(i)	कारखाने के कर्मचारियों के लिए कंपनी द्वारा भुगतान किया गया जीवन बीमा प्रीमियम [आईटीसी धारा 17(5) के तहत अवरुद्ध है क्योंकि नियोक्ता हेतु किसी भी कानून के तहत अपने कर्मचारियों को जीवन बीमा सेवा प्रदान करना अनिवार्य नहीं है।]	शून्य
(ii)	जॉब वर्कर को भेजा गया कच्चा माल	शून्य

	[पिछले साल सितंबर के महीने में लिया गया आईटीसी तब से वैध है। इसके अलावा, चूंकि जॉब वर्कर द्वारा इनपुट प्राप्त करने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि अभी तक अप्रैल में समाप्त नहीं हुई है, ऐसे इनपुट पर कोई कर देयता नहीं होगी।]	
(iii)	शून्य रेटेड आपूर्ति हेतु उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री [आईटीसी को शून्य-रेटेड आपूर्ति करने के लिए लाभ उठाया जा सकता है, भले ही ऐसी आपूर्ति छूट वाली आपूर्ति हो सकती है]	50,000
(iv)	वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सेवा [अचल संपत्ति के निर्माण हेतु आपूर्ति की गई कार्य अनुबंध सेवाओं पर आईटीसी अवरुद्ध है। लाभ एवं हानि खाते से नामे की गई इमारत की मरम्मत 'निर्माण' की राशि नहीं है और यह धारा 17(5) के तहत अवरुद्ध नहीं है, इसलिए आईटीसी उपलब्ध है]	30,000
(v)	खरीदे गए पूंजीगत सामान जिसके संबंध में कर घटक पर मूल्यहास का दावा ⁸ किया जाता है [आईटीसी उपलब्ध नहीं है जब आयकर अधिनियम के तहत पूंजीगत वस्तुओं की लागत के कर घटक पर मूल्यहास का दावा किया गया है।]	शून्य
(vi)	नेहा ट्रेडर्स से खरीदा गया माल [आईटीसी यह मानते हुए उपलब्ध है कि वह चालान चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल के महीने में प्राप्त हुआ था, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में जून के महीने में माल प्राप्त हुआ था। ⁹]	20,000
(vii)	आग आपूर्ति करने के लिए खरीदी गई कारें [हालांकि ऐसे वाहनों की आगे आपूर्ति हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहनों पर आईटीसी अवरुद्ध नहीं है, नष्ट किए गए माल पर आईटीसी धारा 17(5) के तहत अवरुद्ध है]	शून्य
(viii)	दूरसंचार टावर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान [कर देय व्यक्ति द्वारा अपने खाते में अचल संपत्ति (संयंत्र व मशीनरी के अलावा) के निर्माण के लिए उपयोग किए गए सामान पर आईटीसी अवरुद्ध है। चूंकि संयंत्र और मशीनरी में दूरसंचार टावर शामिल नहीं है, आईटीसी धारा 17(5) के तहत अवरुद्ध है। इसके अलावा, इस तरह के	शून्य

⁸ यह भी माना जा सकता है कि चालू वित्त वर्ष में चालान अप्रैल माह में प्राप्त हुआ है, लेकिन माल उसी वित्तीय वर्ष के जून माह में प्राप्त हुआ है। उस स्थिति में, उक्त माल के संबंध में आईटीसी जून के महीने में उपलब्ध होगा जब माल प्राप्त होगा, और अप्रैल में कोई आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा।

⁹ यह भी माना जा सकता है कि चालू वित्त वर्ष में चालान अप्रैल माह में प्राप्त हुआ है, लेकिन माल उसी वित्तीय वर्ष के जून माह में प्राप्त हुआ है। उस स्थिति में, उक्त माल के संबंध में आईटीसी जून के महीने में उपलब्ध होगा जब माल प्राप्त होगा, और अप्रैल में कोई आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा।

प्रश्न-पत्र – 8: अप्रत्यक्ष कर कानून (PAPER – 8: INDIRECT TAX LAWS) 9

	सामान का इस्तेमाल व्यापार के क्रम में या उसे आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है।]	
	कुल उपलब्ध आईटीसी	1,00,000

(ख) मिस्टर एक्स द्वारा देय मूल सीमा शुल्क की गणना

ऐसा आयातक जिसने छूट का लाभ उठाते हुए पूंजीगत माल का आयात किया है, ऐसे माल को निर्दिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग करने के बाद, सीधी कटौती प्रणाली में अनुमत मूल्यहास मूल्य पर ब्याज सहित, बिना छूट के ऐसे माल पर लगाए जाने वाले शुल्क और आयात के समय पहले से भुगतान किए गए शुल्क के बीच के अंतर के बराबर शुल्क के भुगतान पर, नीचे दिए अनुसार समाशोधन कर सकता है:

- (i) पहले वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए @ 4%;
- (ii) दूसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए @ 3 %;
- (iii) तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए @ 3%;
- (iv) चौथे और पांचवें वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए @2.5%;
- (v) और उसके बाद प्रत्येक तिमाही के लिए @ 2%

इस प्रकार, मूल्यहास % की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

2019 : चौथी तिमाही x 4= 16%

2020 : चौथी तिमाही x 3= 12%

2021 : चौथी तिमाही x 3= 12%

2022 : दूसरी तिमाही x 2.5= 5%

कुल मूल्यहास % 45% होगा

मूल्यहास राशि होगी : ₹20 लाख का 45% = ₹9 लाख

मशीन का मूल्यहास मूल्य है

₹20 लाख - ₹9 लाख = ₹11 लाख

तदनुसार, मिस्टर एक्स द्वारा देय मूल सीमा शुल्क की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

= [₹11 लाख × 20%] - [₹20 लाख × 5%]

= ₹ [2.20-1.00] लाख

= ₹ 1.20 लाख

प्रश्न 3

(क) निम्नलिखित अलग-अलग मामलों में आपूर्ति की जगह निर्धारित करें:

- I. मुंबई में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, फेस्टिवल इवेंट नई दिल्ली और मलेशिया में प्रभु एंटरप्राइजेज (अहमदाबाद, गुजरात में पंजीकृत) के लिए दो बिजनेस प्रमोशन इवेंट आयोजित करती है।
- II. ग्लोबल प्लानर्स (जोधपुर, राजस्थान) को मिस्टर जॉन (कोच्चि, केरल में स्थित अपंजीकृत व्यक्ति) द्वारा मुंबई, महाराष्ट्र में अपने बेटे की शादी की योजना बनाने और आयोजित करने हेतु नियुक्त किया गया है। अगर शादी सिंगापुर में होनी है तो क्या आपका जवाब अलग

होगा?

(5 अंक)

- (ख) बेंगलूर में पंजीकृत एक्सवार्डजेड कंसल्टेंसी, अपने ग्राहकों को तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। यह पिछले दो वर्षों से बीए लिमिटेड, मुंबई को तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रतिफल बीए लिमिटेड द्वारा असाइनमेंट के अनुसार तय किया गया जाता है। बीए लिमिटेड ने एक्सवार्डजेड कंसल्टेंसी को 10 जनवरी, 2022 को ₹37 लाख का भुगतान किया, इस शर्त पर की वह 8 साल की अवधि तक भारत या विदेश में किसी अन्य व्यावसायिक इकाई को ऐसी समान तकनीकी सेवाएं प्रदान नहीं करेगा। एक्सवार्डजेड कंसल्टेंसी का माननता है कि ₹37 लाख पर जीएसटी प्रभार्य नहीं है।

आपको यह ज्ञात करना है कि एक्सवार्डजेड कंसल्टेंसी द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कानून में मान्य है या नहीं। एक्सवार्डजेड कंसल्टेंसी की जीएसटी देनदारी की गणना करें, अगर आपको लगता है कि जीएसटी प्रभार्य है। कानून के अनुसार देय होने पर कर राशि को पूर्णकित करें। एक्सवार्डजेड कंसल्टेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी सेवाओं पर अन्यथा 18% की दर से आईजीएसटी प्रभार्य हैं और एक्सवार्डजेड परामर्श शुल्क पर जीएसटी देयता का निर्वहन करता रहा है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि बीए लिमिटेड पहले से सहमत राशि के अलावा एक्सवार्डजेड कंसल्टेंसी को और राशि का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है।

(4 अंक)

- (ग) केआईपी केमिकल, अहमदाबाद, गुजरात दहेज एसईजेड (गुजरात) में स्थित एसीसीपी, भरूच को माल की आपूर्ति करती है। निर्धारित केस कानून के संदर्भ में जांच करें कि क्या ऐसी आपूर्ति सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत निर्यात शुल्क प्रभार्य है।

(5 अंक)

उत्तर

- (क) (I) जब किसी पंजीकृत व्यक्ति को कार्यक्रम के आयोजन की सेवा प्रदान की जाती है, तो आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता का स्थान होता है, चाहे कार्यक्रम भारत में आयोजित हो या भारत के बाहर। इस प्रकार, दिए गए मामले में, आपूर्ति का स्थान:

- समारोह नई दिल्ली में अहमदाबाद, गुजरात और आयोजित किया जाता है।
- मलेशिया में आयोजित कार्यक्रम अहमदाबाद, गुजरात है।

- (II) जब किसी अपंजीकृत व्यक्ति को कार्यक्रम के आयोजन की सेवा प्रदान की जाती है, तो आपूर्ति का स्थान वह स्थान होता है जहां कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जब कार्यक्रम भारत में आयोजित किया जाता है और आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता का स्थान होता है जहां कार्यक्रम भारत के बाहर आयोजित किया जाता है।

इस प्रकार, दिए गए मामले में, आपूर्ति का स्थान:

- अगर शादी महाराष्ट्र में होती है तो मुंबई, महाराष्ट्र और
- अगर शादी सिंगापुर में होती है तो कोच्चि, केरल है।

- (ख) दिए गए मामले में, एक्सवार्डजेड कंसल्टेंसी ₹37 लाख के प्रतिफल पर बीए लिमिटेड को किसी कार्य से बचने के दायित्व से सहमत होने की सेवा प्रदान कर रही है। इसलिए, यह कर हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार, एक्सवार्डजेड कंसल्टेंसी द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण गलत है।

प्रश्न-पत्र – 8: अप्रत्यक्ष कर कानून (PAPER – 8: INDIRECT TAX LAWS) 11

चूँकि उक्त सेवाओं की आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता का स्थान है, अर्थात् मुंबई और आपूर्तिकर्ता बेंगलोर में स्थित है, इसलिए सेवाएं अंतर-राज्य आपूर्ति हैं जिनपर कर @ 18% देय हैं।¹⁰
एक्सवाइजेड कंसल्टेंसी की जीएसटी देनदारी (आईजीएसटी) है:

$$= ₹37,00,000^{11} \times 18/118$$

$$= ₹5,64,407 \text{ (पूर्णांकित)}$$

(ग) गुजरात के दाहेज एसईजेड में स्थित एसीसीपी को केआईपी केमिकल, गुजरात द्वारा की गई आपूर्ति निर्यात शुल्क के लिए प्रभार्य नहीं है।

न्यायिक घोषणा में¹², यह माना जाता है कि डीटीए से एसईजेड को माल की निकासी निम्नलिखित टिप्पणियों के आधार पर निर्यात शुल्क हेतु प्रभार्य नहीं है:

- सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्रभार अनुभाग को समझने की जरूरत है।
- यदि किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से शुल्क अनुभाग के दायरे में नहीं लाया जाता है, तो उस पर बिल्कुल भी कर नहीं लगाया जा सकता है।

सीमा शुल्क केवल भारत के क्षेत्रीय जल में आयात या निर्यात किए गए सामानों पर लगाया जा सकता है। चूंकि एसईजेड इकाई और डीटीए इकाई दोनों भारत के क्षेत्रीय जल के भीतर स्थित हैं, इसलिए डीटीए से एसईजेड को की जाने वाली आपूर्ति सीमा शुल्क के लिए शुल्क प्रभार्य करने वाले अनुभाग को आकर्षित नहीं करेगी। चूंकि एसईजेड अधिनियम में एसईजेड में इकाई को डीटीए इकाई द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाने और संग्रह करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए डीटीए आपूर्तिकर्ता पर निर्यात शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

प्रश्न 4

(क) बीएसए निगम कर्नाटक में पंजीकृत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। बेंगलुरु और मुंबई में मनोरंजन कार्यक्रमों हेतु बीएसए ने एक प्रसिद्ध कलाकार और महाराष्ट्र में पंजीकृत व्यक्ति मिस्टर ए को बॉलीवुड गीतों पर प्रदर्शन करने हेतु कॉन्ट्रैक्ट दिया है। बीएसए कॉर्पोरेशन ने मुंबई और बेंगलुरु इवेंट्स हेतु क्रमशः ₹12,39,000 और ₹18,29,000 का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। बीएसए कॉर्पोरेशन जीएसटी दर @ 18% (सीजीएसटी @ 9%, एसजीएसटी @ 9%, आईजीएसटी @ 18%) मानते हुए कटौती की जाने वाली टीडीएस की राशि पर आपकी सलाह चाहता है।

(5 अंक)

(ख) खुरानिया फिलिंग स्टेशन, जिसका प्रधान कार्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में है, ने एक वित्तीय वर्ष में लेनदेन का विवरण निम्नानुसार दिया है:

फरीदाबाद, हरियाणा में पेट्रोल की आपूर्ति	14,00,000
आवक आपूर्ति का मूल्य जिस पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर देय है	11,00,000

¹⁰ किसी अधिनियम से विरत रहने के दायित्व से सहमत होने की सेवा पर लागू कर की दर।

¹¹ चूंकि जीएसटी को आपूर्ति के लिए अलग से एकत्र नहीं किया गया है, इसलिए यह मान लिया गया है कि इसमें कर शामिल है।

¹² तिरुपति उद्योग लिमिटेड बनाम यूओआई 2011 (272) ईएलटी 209 (एपी) एस्सार स्टील बनाम यूओआई 2010 (249) ईएलटी 3 (गुजरात) [एससी द्वारा अनुरक्षित] में उक्त मामले में लिए गए दृष्टिकोण की भी पुष्टि की गई है, जिसमें विभागीय अपील को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12.07.2010 - 2010 (255) ईएलटी 115 पर खारिज कर दिया गया है।

फरीदाबाद, हरियाणा में ट्रांसफार्मर तेल की आपूर्ति	2,50,000
फरीदाबाद, हरियाणा से लुधियाना, पंजाब में प्रतिफल के भुगतान के बिना शाखा स्थानांतरण का मूल्य	3,00,000
मिजोरम शाखा में कर योग्य आपूर्ति का मूल्य	12,40,000

यह तर्क देता है कि इसका राजस्व फरीदाबाद, हरियाणा या लुधियाना, पंजाब और मिजोरम शाखा सहित ₹40,00,000 की सीमा से अधिक नहीं है, इसलिए कर योग्य नहीं है। इसलिए रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है।

खुरानिया फिलिंग स्टेशन के कुल कारोबार की गणना करें और इंगित करें कि क्या फर्म को पंजीकरण लेने की आवश्यकता है। अपने निष्कर्ष को कारण सहित बताएं। (4 अंक)

- (ग) इंदौर, मध्य प्रदेश का एक गैर सरकारी संगठन मिशन लाइफ, केंद्र सरकार की एक योजना के तहत सागर, मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को मुफ्त वितरण हेतु ऑस्ट्रेलिया से 800 मीट्रिक टन खाद्य उत्पादों का आयात किया है।

ऑस्ट्रेलिया के निर्यातक ने माल ढुलाई, बीमा आदि की लागत को कवर करने हेतु केवल 20 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन शुल्क लिया है और खाद्य उत्पादों की लागत के लिए कोई शुल्क नहीं लिया है। सीमा शुल्क विभाग ने पाया कि आयात के समय या उसके आसपास, ऑस्ट्रेलियाई मूल के उक्त खाद्य उत्पादों के निम्नलिखित आयात किए गए हैं:

क्र. सं.	मीट्रिक टन में आयातित मात्रा	यूएस \$ में यूनिट सीआईएफ मूल्य
1.	40	270
2.	100	220
3.	500	200
4.	900	180
5.	400	190
6.	760	160

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत उपरोक्त लेन-देन के लेनदेन मूल्य को निर्धारित करने हेतु विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करें और सीआईएफ मूल्य निर्धारित करें जिसपर इस मामले में मूल्यांकन हेतु विचार किया जा सकता है। (5 अंक)

उत्तर

- (क) एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को कर योग्य सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान से @ 2% (अंतर-राज्य आपूर्ति पर) कर कटौती करने की आवश्यकता होती है, जब ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य, अनुबंध के तहत चालान में दर्शाए गए कर को छोड़कर, ₹2,50,000 से अधिक है।

कर को छोड़कर आपूर्ति का मूल्य है

₹10,50,000 (₹12,39,000 × 100/118) और

₹15,50,000 (₹18,39,000 × 100/118)

इसके अलावा, दिए गए मामले में, चूंकि आपूर्तिकर्ता की लोकेशन महाराष्ट्र है और मिस्टर ए द्वारा बीएसए निगम को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति की लोकेशन प्राप्तकर्ता की लोकेशन

प्रश्न-पत्र – 8: अप्रत्यक्ष कर कानून (PAPER – 8: INDIRECT TAX LAWS) 13

कर्नाटक है, इसलिए मुंबई और बेंगलुरु दोनों कार्यक्रमों में प्रदान की जाने वाली सेवाएं अंतर-राज्य आपूर्ति हैं।

तदनुसार, दिए गए मामले में, बीएसए निगम को निम्नानुसार कर कटौती करने की आवश्यकता है:

- (i) ₹10,50,000 × 2% = ₹21,000 (आईजीएसटी)
- (ii) ₹15,50,000 × 2% = ₹31,000 (आईजीएसटी)

(ख)

विवरण	राशि (₹)
फरीदाबाद, हरियाणा में पेट्रोल की आपूर्ति [पेट्रोल की आपूर्ति गैर-कर योग्य आपूर्ति होने के कारण छूट प्राप्त आपूर्ति है। छूट प्राप्त आपूर्ति का मूल्य कुल कारोबार में शामिल है।]	14,00,000
आवक आपूर्ति का मूल्य जिस पर रिवर्स चार्ज के तहत कर देय है [आवक आपूर्ति रिवर्स चार्ज के तहत कर योग्य है।]	शून्य
फरीदाबाद, हरियाणा में ट्रांसफार्मर तेल की आपूर्ति	2,50,000
अंतर-राज्य शाखा हस्तांतरण बिना विचार के [अलग-अलग व्यक्तियों के बीच की गई आपूर्ति को आपूर्ति माना जाता है और इस प्रकार, इसमें शामिल है।]	3,00,000
मिजोरम शाखा से कर योग्य आपूर्ति [समान पैन के तहत की गई आपूर्ति शामिल हैं।]	12,40,000
कुल कारोबार	31,90,000

यदि आपूर्तिकर्ता भी विशेष श्रेणी के राज्य मिजोरम से आपूर्ति करने में संलग्न है, तो कुल राजस्व की बढ़ी हुई सीमा ₹40 लाख का पंजीकरण प्राप्त करने हेतु घटकर ₹10 लाख हो जाती है। दिए गए मामले में, खुरानिया फिलिंग स्टेशन का कुल राजस्व ₹10 लाख की लागू सीमा से अधिक है। इसके अलावा, चूंकि खुरानिया फिलिंग स्टेशन को रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है, यह अपने राजस्व की मात्रा के बावजूद अनिवार्य रूप से पंजीकरण प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी है। इसके अलावा, चूंकि खुरानिया फिलिंग स्टेशन अंतर-राज्यीय शाखा स्थानांतरण कर रहा है,¹³ यह कारोबार की मात्रा के बावजूद अनिवार्य रूप से पंजीकरण प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार खुरानिया फिलिंग स्टेशन उन सभी राज्यों में पंजीकरण प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी है जहां से यह कर योग्य आपूर्ति करता है।

(ग) माल के लेन-देन मूल्य का निर्धारण करते समय, निम्नलिखित कारकों पर विचार करना होता है: -

1. दिए गए मामले में, यूएस \$20 प्रति मीट्रिक टन केवल भाड़ा और बीमा शुल्क हेतु भुगतान किया गया है और माल की लागत हेतु कोई राशि का भुगतान या देय नहीं है। इस प्रकार, संबद्ध वस्तुओं का कोई लेनदेन मूल्य नहीं है। नतीजतन, समरूप वस्तुओं का लेनदेन मूल्य निर्धारित किया जाना है।

¹³ मामले में जहां यह माना जाता है कि फरीदाबाद से लुधियाना हेतु अंतर-राज्यीय शाखा हस्तांतरण कर योग्य माल का है।

2. आयातित माल का मूल्य भारत को निर्यात हेतु बेचे गए समरूप माल का लेनदेन मूल्य होगा और उसी समय या लगभग उसी समय आयात किया जाएगा जब माल का मूल्य निर्धारण किया जा रहा हो। प्रासंगिक समय के दौरान दिए गए छह आयातों में, माल विवरण में समान हैं और उसी मूल देश के हैं।
3. इसके अलावा, तुलनीय आयात समान वाणिज्यिक स्तर पर और वस्तुतः उतनी ही मात्रा में होना चाहिए जितनी कि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया जा रहा है। चूंकि तुलनीय खेपों के लेन-देन के स्तर के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, इसलिए इसे उसी वाणिज्यिक स्तर पर माना जाता है।
4. जहां तक मात्राओं का संबंध है, 40 और 100 मीट्रिक टन की खेपों को समान मात्रा का नहीं माना जा सकता है। इसलिए, शेष 4 खेप विचार हेतु छोड़ दी गई हैं।
5. हालांकि, इन 4 खेपों में यूनिट की कीमतें अलग-अलग हैं। यदि समान वस्तुओं के एक से अधिक लेन-देन मूल्य पाए जाते हैं, तो आयातित वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित करने में ऐसे मूल्य का न्यूनतम उपयोग किया जाएगा। तदनुसार, मूल्यांकन के तहत खेप की इकाई कीमत 160 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन होगी।
800 मीट्रिक टन का सीआईएफ मूल्य इस प्रकार है:
$$= 800 \times 160 = \text{यूएस } \$1,28,000$$

प्रश्न 5

- (क) अर्जुन ने सीजीएसटी अधिनियम के तहत अपराध किया है जिसे सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 138 (1) के प्रावधानों के अनुसार चक्रवृद्धि किया जा सकता है। उसने अपराध में शामिल ₹10 लाख की कर राशि का भुगतान किया है। वह उक्त अपराध के शमन हेतु आयुक्त के पास आवेदन करना चाहता है। आपको अर्जुन द्वारा देय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 138(2) के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम चक्रवृद्धि राशि की गणना करनी है। यदि अर्जुन ऐसी चक्रवृद्धि राशि का भुगतान करता है जो आयुक्त द्वारा निर्धारित की जा सकती है, तो इसके क्या परिणाम होंगे? (5 अंक)
- (ख) अहमदाबाद के कॉमेट केम ने अहमदाबाद से गुजरात में भरूच तक सामान ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टर राम रोडवेज को माल सौंपा।
माल का मूल्य ₹80,000 है जिस पर 18% जीएसटी (9% एसजीएसटी + 9% सीजीएसटी) की दर से कर लगता है और पारगमन के दौरान उचित अधिकारी ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 68 के तहत वाहन को रोका और माल को जब्त कर लिया।
माल को छुड़ाने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 के तहत देय दंड की गणना करें:
- अगर माल का मालिक कॉमेट केम जुर्माने के भुगतान हेतु आगे आता है।
 - अगर माल का मालिक कॉमेट केम जुर्माने के भुगतान हेतु आगे नहीं आता है। (4 अंक)
- (ग) भारतीय मूल की कियारा अपने 1 साल के बच्चे के साथ दूर पर भारत आई थी। वह निम्नलिखित सामान साथ लेकर आई:

1.	पर्सनल इफेक्ट	50,000
----	---------------	--------

प्रश्न-पत्र – 8: अप्रत्यक्ष कर कानून (PAPER – 8: INDIRECT TAX LAWS) 15

2.	इस्तेमाल किया गया शिशु के पर्सनल इफेक्ट	10,000
3.	नया कैमरा	45,000
4.	मोबाइल फोन	12,500
5.	सिगरेट स्टिक्स 70	1,000
6.	वाइन - 2 लीटर	18,000
7.	यात्रा स्मृति चिन्ह	5,000
8.	लैपटॉप	90,000

तालिका में प्रत्येक वस्तु के संबंध में करदेयता या कर योग्य मूल्य बताएं और देय सीमा शुल्क की गणना कानून के अनुसार निकटतम रुपये में करें। करदेयता या कर योग्य राशि के संबंध में निष्कर्षों के समर्थन में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

(5

अंक)

उत्तर

(क) (i) चक्रवृद्धि राशि हेतु न्यूनतम सीमा निम्न से अधिक है : -

- शामिल कर का 50%, अर्थात्, ₹5,00,000 (₹10 लाख × 50%) या
 - ₹10,000,
- अर्थात् ₹5,00,000

(ii) चक्रवृद्धि राशि की अधिकतम सीमा निम्न में से अधिक है: -

- शामिल कर का 150%, अर्थात्, ₹15,00,000 (₹10 लाख × 150 %) या
 - ₹30,000
- अर्थात् ₹15,00,000

यदि अर्जुन ऐसी चक्रवृद्धि राशि का भुगतान करता है जो आयुक्त द्वारा निर्धारित की जा सकती है, तो उसके खिलाफ उसी अपराध के संबंध में इस अधिनियम के तहत आगे कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी और कोई भी आपराधिक कार्यवाही, यदि उक्त अपराध के संबंध में पहले से ही शुरू की गई है, समाप्त हो जाएगी।

(ख) जब कॉमेट केम - माल का मालिक - दंड के भुगतान हेतु आगे आता है, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129 के तहत देय जुर्माना ऐसे माल पर देय कर का 200% है, अर्थात्, ₹14,400 [200% (₹80,000 × 9%)]

अर्थात् ₹14,400

जब कॉमेट केम - माल का मालिक - जुर्माने के भुगतान हेतु आगे नहीं आता है, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129 के तहत देय जुर्माना अधिक है:

- (i) माल के मूल्य का 50%, अर्थात्, ₹40,000 (₹80,000 का 50%) या
 - (ii) ऐसे सामानों पर देय कर का 200%, यानी 14,400 [200% (₹80,000 × 9%)]
- अर्थात् ₹40,000

(ग)

विवरण	₹
-------	---

पर्सनल इफेक्ट	शून्य
इस्तेमाल किया गया शिशु के पर्सनल इफेक्ट	शून्य
नया कैमरा	45,000
मोबाइल फोन	12,500
सिगरेट स्टिक्स 70	1,000
वाइन - 2 लीटर	18,000
यात्रा स्मृति चिन्ह	शून्य
लैपटॉप	शून्य
कुल	76,500
घटाया: सामान्य निःशुल्क भत्ता	50,000
सामान जिस पर शुल्क देय है	26,500
सामान पर देय शुल्क @ 38.50% (10% सामाजिक कल्याण अधिभार सहित) [पूर्णांक]	10,203

टिप्पणी: उपरोक्त समाधान में यह माना गया है कि कियारा नेपाल, भूटान और म्यांमार के अलावा किसी अन्य देश से लौट रही है। हालांकि, अगर यह मान लिया जाए कि कियारा नेपाल, भूटान या म्यांमार से लौट रही है, तो सामान्य मुफ्त भत्ता 50,000 रुपये के बजाय 15,000 रुपये है। उस स्थिति में, सामान पर 38.50% की दर से देय शुल्क ₹23,678 होगा।

प्रश्न 6

- (क) क्या श्री वेंकट आपूर्ति के स्थान से संबंधित मुद्दे हेतु अग्रिम निर्णय प्राप्त कर सकते हैं? उन सभी मुद्दों को भी सूचीबद्ध करें जिनके लिए अग्रिम निर्णय मांगा जा सकता है। (4 अंक)

या

श्री महेंद्र, एक पंजीकृत व्यक्ति, को क्यूआरएमपी (त्रैमासिक रिटर्न-मासिक भुगतान) योजना के बारे में पता चला, लेकिन वह निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि इसका विकल्प चुना जाए या नहीं। श्री महेंद्र की मदद के लिए क्यूआरएमपी योजना के पात्रता मानदंड और लाभों का वर्णन करें, ताकि वो इस संबंध में निर्णय ले सकें। (4 अंक)

- (ख) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत सारांश मूल्यांकन एवं सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन के मामलों में किस मामले में उचित अधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश को वापस लिया जा सकता है? (5 अंक)

- (ग) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 27 की उप-धारा (2) के तहत प्रदान किए गए अपवाद क्या हैं जिसमें आवेदक को शुल्क का उद्धार मिल सकता है?

- (क) नहीं, वेंकट आपूर्ति के स्थान से संबंधित मुद्दे हेतु अग्रिम निर्णय प्राप्त नहीं कर सकते हैं¹⁴

¹⁴ उपरोक्त उत्तर सीबीआईसी द्वारा 'अग्रिम निर्णय' पर जारी ई-फ्लायर में लिए गए दृष्टिकोण पर आधारित है। हालांकि, यह विचार करना भी संभव है कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 96(2)(ई) के तहत प्रदान की गई वस्तुओं और/या सेवाओं पर कर का भुगतान करने की देयता के निर्धारण से संबंधित प्रश्न इसके दायरे में आता है।

प्रश्न-पत्र – 8: अप्रत्यक्ष कर कानून (PAPER – 8: INDIRECT TAX LAWS) 17

निम्नलिखित स्थिति में अग्रिम निर्णय मांगा जा सकता है:

- (क) किसी भी माल या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण;
- (ख) जीएसटी कानून के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना की प्रयोज्यता;
- (ग) माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के समय और मूल्य का निर्धारण;
- (घ) भुगतान किए गए या भुगतान किए गए माने गए कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वीकार्यता;
- (ङ) जीएसटी कानून के तहत किसी भी सामान या सेवाओं पर कर का भुगतान करने के दायित्व का निर्धारण;
- (च) जब आवेदक को पंजीकृत होना आवश्यक है;
- (छ) जब आवेदक द्वारा किसी सामान या सेवाओं या दोनों के संबंध में किया गया कोई विशेष काम उस शब्द के अर्थ के भीतर माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बराबर है या परिणाम है।

वैकल्पिक उत्तर

(क) क्यूआरएमपी योजना के लिए पात्रता मानदंड

पंजीकृत व्यक्ति,

- गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति सेवाओं (ओआईडीएआर) के आपूर्तिकर्ता के अलावा और गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता को ऐसी सेवाएं प्रदान करना और जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक कारोबार (पैन आधारित) ₹5 करोड़ तक है।
- जिन्होंने क्यूआरएमपी योजना के तहत तिमाही रिटर्न भरने का विकल्प चुना है।
- जिन्होंने इस तरह के विकल्प का प्रयोग करने की तिथि पर देय अंतिम विवरणी प्रस्तुत की है।

क्यूआरएमपी योजना का विकल्प चुनने के पात्र हैं।

क्यूआरएमपी योजना के लाभ

- यह व्यापार सुविधा उपाय है और व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है।
- यह ऐसे करदाताओं पर अनुपालन बोझ को काफी कम करता है क्योंकि अब करदाताओं को साल में केवल 4 बार जीएसटीआर-3बी रिटर्न और जीएसटीआर-1 फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है।

(ख) जहां पंजीकृत व्यक्ति सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण आदेश की सेवा के 30 दिनों के भीतर डिफॉल्ट अवधि हेतु एक वैध रिटर्न प्रस्तुत करता है, उक्त आदेश को वापस ले लिया गया माना जाएगा लेकिन कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान की देयता या विलंब शुल्क के भुगतान के लिए जारी रहेगा।

अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त द्वारा निर्धारण आदेश वापस लिया जा सकता है, -

ऐसा इसलिए है क्योंकि आपूर्ति का स्थान यह निर्धारित करने वाले कारकों में से एक है कि आपूर्ति सीजीएसटी और एसजीएसटी या आईजीएसटी के लिए वसूली योग्य है या नहीं। उस मामले में, निष्कर्ष यह होगा कि वेंकट आपूर्ति के स्थान से संबंधित मुद्दे के लिए अग्रिम निर्णय प्राप्त कर सकता है।

- (क) आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसकी वापसी हेतु कर योग्य व्यक्ति द्वारा आवेदन दायर करने पर; या
- (ख) अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, जहां वह इस तरह के आदेश को गलत पाता है और इसके बजाय ऐसे कर योग्य व्यक्ति की कर देयता निर्धारित करने हेतु धारा 73/74 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कर सकता है।
- (ग) शुल्क और ब्याज की वापसी योग्य राशि का भुगतान केवल निम्नलिखित स्थितियों में आवेदक को किया जाना है:
- (क) यदि आयातक या निर्यातक, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य व्यक्ति को इस तरह के शुल्क और ब्याज की घटनाओं पर पारित नहीं किया गया है।
- (ख) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग हेतु आयात किया गया था।
- (ग) यदि वापस की जाने वाली राशि माल पर भुगतान किए गए निर्यात शुल्क से संबंधित है जो धारा 26 में निर्दिष्ट अनुसार निर्यातक को वापस कर दी गई है।
- (घ) यदि राशि देय शुल्क की वापसी से संबंधित है।
- (ङ) यदि शुल्क या ब्याज आवेदकों की अधिसूचित वर्ग द्वारा वहन किया गया था।
- (च) यदि घरेलू खपत के लिए माल की निकासी की अनुमति देने के आदेश से पहले आयातक द्वारा अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाता है, जहां स्व-मूल्यांकित बिल ऑफ एंट्री के मामले में शुल्क का ऐसा अधिक भुगतान बिल ऑफ एंट्री से स्पष्ट होता है।
- (छ) यदि घरेलू खपत के लिए माल की निकासी की अनुमति देने वाले आदेश से पहले आयातक द्वारा अधिक शुल्क का भुगतान किया जाता है, जहां वास्तव में देय शुल्क पुनर्मूल्यांकन के मामले में प्रविष्टि के पुनर्मूल्यांकन बिल में परिलक्षित होता है।
- (ज) यदि खरीदार ने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे शुल्क और ब्याज की घटनाओं पर पारित नहीं किया है।